संख्या :– 2425 उन्तीस/04–2(22पे0)/2004

प्रेषक,

बी0पी0 पाण्डेय,
सचिव, पेयजल,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम,
देहरादून।
2– मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तरांचल जल संस्थान,
देहरादून।
3– निदेशक,
स्वजल परियोजना,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग देहरादून, दिनांक 31 मई, 2005

विषय : <u>पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर में सकल क्षेत्र में समरूप नीति (SWAp) अपनाते हुए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं बाह्य सहायतित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर संस्थागत व्यवस्थायें।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषय से संबंधित पूर्व निर्गत प्राश्र्वाकिंत शासनादेशों को संदर्भित करते हुए विषयगत प्रकरण पर मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ हैं कि उत्तरांचल ग्रामीण जलापूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना के कार्यक्रमों का जनपद स्तर पर क्रियान्वित किए जाने हेतु संस्थागत व्यवस्थायें निर्धारित की गई हैं। इस क्रम में वर्तमान में राज्य सरकार व राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्धारित पेयजल एवं स्वच्छता नीति एवं उसके अंतर्गत एकल ग्राम पेयजल परियेाजनाओं को समेकित रूप से क्रियान्वित करने हेतु सम्यक विचारोपरान्त पूर्व व्यवस्थाओं में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न व्यवस्थाएँ लागू किये जाने का निर्णय लिया गया हैं।

1.शासनादेश सं0 3655 (I) 38-6-95
दिनांक 11 जुलाई, 1995
2.कार्यालय ज्ञाप सं0 36/नौ–2 (272 पे0)/2001
दिनांक 28 फरवरी 2001
3.कार्यालय ज्ञाप सं0 3391/नौ–2 (20 पे0)/2001
दिनांक 14 दिसम्बर 2001
4.शासनादेश सं0 132/नौ–2–पे0/2004
दिनांक 16 जनवरी 2004
5.कार्यालय ज्ञाप सं0 जी0आई0–87/उन्तीस–2–04 (25 पे0)/2003 दिनांक 6 अगस्त 2004

जिला जल एवं स्वच्छता मिशन

जनपद स्तर पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन हेतु जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन निम्नवत गठित की जाती है :–

1. जिला पंचायत अध्यक्ष	पदेन अध्यक्ष
2. मा0 सांसदगण	सदस्य
3. मा0 विधायकगण	सदस्य
4. चक्रक्रमानुसार जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित तीन जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
5. चक्रक्रमानुसार जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित तीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख	सदस्य
6. मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
7. अधीक्षण अभियन्ता/अधीशासी अभियन्ता ,उत्तरांचल पेयजल निगम	सदस्य
8. अधीक्षण अभियन्ता/अधीशासी अभियन्ता, उत्तरांचल जल संस्थान	सदस्य
9. जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
10. जिला पंचायती राज अधिकारी	सदस्य
11. जिला मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
12. जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
13 उप परियोजना अधिकारी जलागम परियोजना	सदस्य
14.डी0पी0एम0यू0 (स्वजल परियोजना)	सदस्य सचिव
15. प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
16. अधिशासी अधिकारी सिंचाई	सदस्य
17. अधिशासी अधिकारी लघु सिंचाई	सदस्य
18. अधिशासी अधिकारी, जलागम प्रबन्ध	सदस्य

जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के दायित्व

1. राज्य सरकार व राज्य जल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) के द्वारा निर्धारित नीतिगत निर्णयों के अनुसार एकल ग्राम पेयजल योजनाओं में नीतियों को लागू करना ।
2. जनपद स्तर पर क्षेत्र सुधार के सिद्वान्तों के अनुसार पेयजल योजनाओं के नियोजन, निष्पादन, क्रियान्वयन एवं रखरखाव के सम्बन्ध में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (स्टीयरिंग कमेटी) का मार्ग दर्शन करना।
3. जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा पेयजल योजनाओं एवं स्वच्छता सम्बन्धी कार्यो के लिये व जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई हेतु प्रस्तुत वार्षिक बजट का अनुमोदन करना तथा व्यय व प्रगति की समीक्षा करना।

4. तकनीकी रूप से परीक्षणोपरांत संस्तुत पेयजल परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना।
5. पेयजल एंव स्वच्छता कार्यो में ग्राम पंचायतों/उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप–समिति को सहयोग प्रदान करना।
6. पेयजल योजनाओं एवं स्वच्छता सम्बन्धी ग्राम पंचायतों के विवादों के निपटारे हेतु न्याय संगत निर्णय देना।
7 इसकी वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होगी तथा डी0 पी0 एम0 यू0 इसका सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

जिला जल एवं स्वच्छता समिति (स्टीयरिंग कमेटी)

जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की सहायता हेतु जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर जल एवं स्वच्छता समिति (स्टीयरिंग कमेटी) का गठन निम्नवत किया जाता है: –

1. जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी	– अध्यक्ष
2. जिला मुख्य चिकित्साधिकारी	– सदस्य
3. जिला विकास अधिकारी	– सदस्य
4. जिला शिक्षा अधिकारी	–सदस्य
5. अपर मुख्य अधिकारी , जिला पंचायत	– सदस्य
6. जिला पंचायत राज अधिकारी	– सदस्य
7. अधिशासी अभियन्ता, जनपदीय परियोजना प्रकोष्ठ, उत्तरांचल पेयजल निगम	– सदस्य
8. अधिशासी अभियन्ता, जनपदीय परियोजना प्रकोष्ठ, उत्तरांचल जल संस्थान	– सदस्य
9. जिला परियेाजना प्रबन्धक, डी0पी0एम0यू0 (स्वजल परियोजना)	– संयोजक/सदस्य सचिव
10. वन प्रभागाधिकारी	– सदस्य
11. अधिशासी अभियन्ता, सिचाई	– सदस्य
12 अधिशासी अभियन्ता, लघु सिचाई	– सदस्य

जिला जल एवं स्वच्छता समिति के दायित्व

1– राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन तथा जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।

2–स्वजलधारा कार्यक्रम एवं सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान हेतु ग्राम पंचायतों का चयन करना एंव ग्राम पंचायत स्तर एवं उपभोक्ता समूह स्तर से प्राप्त योजनाओं की समीक्षा एवं स्वीकृति प्रदान करना।

3–स्वजलधारा कार्यक्रम एवं सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान हेतु स्वंय सेवी संस्थाओं, समुदाय आधारित संस्थाओं (CBO) आदि के चयन की कार्यवाही करना तथा राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन एवं पी0एम0यू0 को संस्तुति प्रस्तुत करना।

4– स्वजलधारा कार्यक्रम एवं सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के प्रभावी अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का कार्य करना।

उक्त समिति भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति तथा राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त समिति राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा मांगी गयी सूचनायें, भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों का विवरण, विभिन्न प्रतिवेदन आदि राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को उपलब्ध करायेगी।

5– जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना में वास्तविक और वित्तीय निष्पादन एवं प्रबन्ध की निगरानी एवं मूल्यांकन करना।

6–जनपद स्तर पर पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी कार्यो हेतु बजट प्राप्त करने हेतु जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को सहयोग प्रदान करना।

7– ग्राम पंचायतों/उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप–समिति द्वारा निर्मित कराये जा रहे कार्यो का समय पर निष्पादन व गुणवत्ता हेतु मार्ग दर्शन व सहयोग प्रदान करना।

जनपद स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक कम से कम तीन माह में एक बार अवश्य आहूत की जायेगी। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन तथा जिला जल एवं स्वच्छता समिति के सचिवालय का कार्य (डी0 पी0 एम0 यू0) द्वारा संपादित किया जायेगा।

2– कार्यालय ज्ञाप संख्या– 3391 /नौ–2 (20 पे0)/2001 दिनांक 14 दिसम्बर 2001 द्वारा जनपद हरिद्वार के लिये पृथक से जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत कराया गया था। सेक्टर रिफार्म प्रोजेक्ट के शेष कार्य स्वजलधारा में समाहित होने के कारण सम्प्रति उक्त समिति की आवश्यकता नही हैं। अतएव इस संबंध में यह निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त पंजीकृत समिति को निरस्त किये जाने के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार द्वारा अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्त व्यवस्थायें राज्य के समस्त जनपदों में इस शासनादेश की निर्गत तिथि से तत्काल लागू होगी।

भवदीय,
-sd-
(बी0 पी0 पाण्ड़ेय)
सचिव

संख्या :– 2425/उन्तीस/04–2(22पे0)/2004 31 मई, 2005

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/मा0 पेयजल मंत्री, उत्तरांचल शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0 पेयजल मंत्री जी के संज्ञानार्थ
2– महालेखाकार, उत्तराचंल , देहरादून
3– स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ,
4– स्टाफ आफिसर , अपर मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन को अपर मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ,
5– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन,
6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल,
7– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल,
8– समस्त जिला परियोजना प्रबन्धक, स्वजल परियोजना, उत्तरांचल,
9– निदेशक, एन0 आई0 सी0 , देहरादून,

10 अधीक्षण अभियन्ता/अधीशासी अभियन्ता ,उत्तरांचल पेयजल निगम,
11. अधीक्षण अभियन्ता/अधीशासी अभियन्ता, उत्तरांचल जल संस्थान,
12. जिला शिक्षा अधिकारी,
13. जिला पंचायती राज अधिकारी,
14. जिला मुख्य चिकित्साधिकारी ,
15. जिला समाज कल्याण अधिकारी ,
16 उप परियोजना अधिकारी जलागम परियोजना ,
17.डी0पी0एम0यू0 (स्वजल परियोजना) ,
18. प्रभागीय वनाधिकारी ,
19 अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई ,
20. अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई,
21. अधिशासी अभियन्ता, जलागम प्रबन्ध ,
22. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत।

आज्ञा सें,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव